



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032023-244385
CG-DL-E-15032023-244385

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1179]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2023/फाल्गुन 23, 1944

No. 1179]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2023/PHALGUNA 23, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2023

का.आ. 1227(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एचडीएफसी बैंक और इसके सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना होने के कारण तुरंत भुगतान सेवा स्विच (इमीडिएट पेमेंट सर्विस स्विच), स्वचालित टेलर मशीन स्विच (ऑटोमेटिड टेलर मशीन स्विच), एकीकृत भुगतान इंटरफेस स्विच (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस स्विच) और सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन सिस्टम्स से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित कार्मिकों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

- संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, एचडीएफसी बैंक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत एचडीएफसी बैंक का कोई अभिहित कर्मचारी;
- संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और
- मामला दर मामला के आधार पर, एचडीएफसी बैंक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल]

राकेश महेश्वरी, वैज्ञानिक जी

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2023

S.O. 1227(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Immediate Payment Service Switch, Automated Teller Machine Switch, Unified Payments Interface Switch and Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications Systems, being Critical Information Infrastructure of HDFC Bank, and the computer resources of its associated dependencies, to be protected systems for the purpose of the said Act and authorises the following personnel to access the protected systems, namely:—

- (a) any designated employee of the HDFC Bank authorised in writing by the HDFC Bank to access the protected system;
 - (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the HDFC Bank for need-based access; and
 - (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the HDFC Bank on case to case basis.
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL]

RAKESH MAHESHWARI, Scientist G